न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री बाबूलाल कोठारी
आई.ए.एस.

सायल	बनाम	गैरसायल
राजस्थान सरकार जरिये पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी जालोर	बनाम	श्री हरचन्द राम पुत्र श्री रूडाजी जाति चोधरी निवासी जीनगर कॉलोनी सांचोर तहसील सांचोर मालिक-चौधरी मिष्ठान भण्डार हाडेचा रोड सांचोर

प्रकरण संख्या — 03/2018

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

पक्षकारान :-

1.प्रवर्तन निरीक्षक जालोर

2.श्री पारसमल बराडा अभिभाषक गैर सायल।

निर्णय

दिनांक 21.05.2018

1. सायल ने यह इस्तगासा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर सायल से जप्त शुदा 2 घरेलू सिलेण्डर मय गैस को ई.सी. एक्ट के तहत राजसात (Confiscate) करावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को इस्तगासे की प्रति भेजते हुए नोटिस जारी किया गया, गैर सायल के अभिभाषक ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया तत्पश्चात प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रवर्तन निरीक्षक, जालोर ने अपनी बहस में व्यक्त दिया कि दिनांक 11.4.2018 को सांचोर शहर स्थित फर्म चौधरी मिष्ठान भण्डार हाडेचा रोड सांचोर के मालिक श्री हरचन्दराम के रूबरू मौत बिरान की मौजूदगी में व्यवसाय स्थल के निरीक्षण/तलाशी के दौरान द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (2) के वर्णित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किलोग्राम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस क्षमता वाले) आईओसीएल कम्पनी के इण्डेन गैस मार्का के फर्द निरीक्षण एवं अभिग्रहण में वर्णित अनुसार 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एस. आर. नम्बर 17281-एस, व 168-एस वस्तु कचौरी बनाते हुए पाया गया। निरीक्षण पर वक्त जांच उक्त वर्णित घरेलू गैस सिलेण्डरों में एलपीजी गैस की मात्रा फर्द निरीक्षण एवं अभिग्रहण में वर्णित अनुसार भरी हुई पाई। फर्म/दुकान मालिक/कार्यकर्ता ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत घरेलू गैस सिलेण्डरों की द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग घरेलू प्रयोजन हेतु नही करके भिन्न कार्यो (वाणिज्य उपयोग)हेतु अवैध रूप से उपयोग किया है। अतः मौके पर प्रतिष्ठान/फर्म मालिक व कार्यकर्ता द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1)(ख) एवं (ग) एवं 7 (ग) का उल्लंघन करने से मेरे द्वारा उक्त वर्णित घरेलू गैस सिलेण्डरों मय एलपीजी गैस, आदेश के खण्ड 13 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिग्रहण किया गया। अभिग्रहण शुदा गैस सिलेण्डर को सुपुर्दगीनामा पर प्रोपराईटर सम्राट गैस एजेन्सी सांचोर को सुपुर्द किये गये है।

अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के की धारा 6ए के अन्तर्गत अभिग्रहण शुदा भरे हुए घरेलू गैस सिलेण्डर, को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों की अवहेलना किये जाने से राजसात कराने का श्रम करावें।

4. गैर सायल के अभिभाषक ने व्यक्त किया कि गैर सायल की सांचोर में मिठाई की दुकान पर व्यवसायिक गैस टंकी खाली होने पर घरेलू गैस टंकी का उपोग किया था। जिसकी गैर सायल को कोई जानकारी नहीं थी। गैर सायल भविष्य में किसी प्रकार की घरेलू गैस टंकी का उपयोग नहीं करेगा। अतः गैर सायल के विरूद्ध की गई कार्यवाही खारिज फरमावे।

5. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस्तगासे में वर्णित तथ्यो के अनुसार गैर सायल के पास से भरे हुए 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस अवैध रूप से संग्रहण कर व्यवसायिक उपयोग के कारण जप्त किया गया हैं। गैर सायल के पास कोई वैद्य लाईसेन्स नहीं था। इस प्रकार फर्म मालिक द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग कर "द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000" के खण्ड 3 (1) (ख) व (ग) का स्पष्ट का स्पष्ट उल्लंघन किया हैं।यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः सायल का यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा जप्त किये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जप्त शुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है। अतः जिला रसद अधिकारी जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि जप्त किए गए भरे हुए 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार निस्तारण कर उनसे प्राप्त राशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा करवाने की व्यवस्था कर इस न्यायालय को सूचित करे।

सही
(बाबूलाल कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सही
(बाबूलाल कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर